प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 30.05.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0-243/2000 धारा 279/304/338 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त झल्लर सिंह उर्फ भगवान दास पुत्र मन सिंह यादव निवासी ग्राम हराहरा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र लगभग 39 वर्ष (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0नं0-1408/20 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रिहान खान पुत्र सलीम खान निवासी ग्राम मलिकपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 27 वर्ष (वारण्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 रिहान पुत्र मो0 रहीश निवासी मेवाती मोहल्ला कालीगंज कस्बा व थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात, को आने जाने वाली लड़कियों/महिलाओं को देखकर अश्लील हरकतें व कमेन्ट्स करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 237/2026 धारा 296(बी) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त शहीद अहमद उर्फ राजा बाबू पुत्र कल्लू अहमद निवासी सरवनखेड़ा बाजार थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, के कब्जे से आनलाइन सट्टा संचालन से सम्बन्धित एक अदद एण्ड्रायड मोबाइल फोन व एक अदद कीपैड फोन (लाइन नंबर) तथा 1700/- रूपये व 02 अदद रजिस्टर नाजायज बरामद होने के सम्बंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 135/2026 धारा 13 जुआ अधिनियम व धारा 112(2) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 25 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 07 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना अमराहट पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसालाबाद पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति व थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।